



2026:AHC:15006

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43411 / 2025

जाफर @ भोरा

..... आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्षगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: मोहम्मद रेहान अंसारी, मोहम्मद अहमद

रिज़वान अंसारी, प्रदीप कुमार

विपक्षी पक्षगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता,

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. श्री राजेश कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 682/2024, धारा 8/21/29/60, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़ अधिनियम, 1985, थाना आंवला, जनपद बरेली में जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक के कब्जे से लगभग 303 ग्राम हेरोइन की बरामदगी दर्शाई गई है, जो वाणिज्यिक मात्रा से थोड़ा अधिक है। वस्तुतः, आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त बरामदगी किसी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, अतः आवेदक को झूठा फँसाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह भी तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया है। साथ ही, रासायनिक विश्लेषक की कोई रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न एवं परेशान करने के उद्देश्य से इस मामले में झूठा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



फँसाया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थिति में सह-अभियुक्त नन्हे को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.12.2025 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 10252/2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है, अतः आवेदक भी जमानत पाने का हकदार है। आवेदक 29.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध एक अन्य आपराधिक मामला दर्ज है, जिसका विवरण जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के न्याय से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है तथा यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध करते हुए तर्क दिया कि विचारण से पूर्व चरण पर आवेदक की निर्दोषता का निर्धारण नहीं किया जा सकता, जबकि वह अवैध मादक पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त है, अतः वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है। यह भी कहा गया कि यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया गया, तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हो सकता है।

तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह आदेश दिया जाता है कि आवेदक **जाफर @ भोरा**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, उसे व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक जांच या विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा गवाहों को भयभीत या प्रभावित नहीं करेगा।
2. आवेदक बिना अनावश्यक स्थगन लिए ईमानदारी से विचारण में सहयोग करेगा।
3. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा। बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास का सत्यापन किया जाएगा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनांक : 21 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव,)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।